(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2015 अनवान मांगीलाल बनाम करनाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 111, 128	
12.11.2016	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा 32 रकवा 10 बीघा 10 बिस्वा राजस्व अभिलेख में दर्ज है किन्तु मौके पर यह रकवा कम है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि उसके द्वारा पैमाईस हेतु निवेदन करने पर दिनांक 20.06.2015 को मौका फर्द तैयार की गई थी किन्तु वह आधी अधूरी है पत्रावली में एक मौका फर्द दिनांक 05.07.2016 की पेश की गई है जिसमें यह अंकन किया गया है कि प्रार्थी की करीब 7 बिस्वा जमीन मौके पर कम है। इस मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थी की भूमि किस पडौसी के खातेदार के रकबे में समाहित है। रिपोर्ट अपने आप में अपूर्ण है। जब तक अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के खसरो के साथ साथ प्रार्थी के खसरे की पैमाईश सयुक्त रूप से नही की जाती है तो कोई हल निकले ने वाला नही है। इन तमाम तथ्यों की रोशनी से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 32 रकवा 10 बीघा 10 बिस्वा ग्राम निम्बली तथा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 27, 28, 31 ग्राम निम्बली की पैमाईस हेतु नायब तहसीलदार झंवर की अधिहस्ता में एक टीम का गठन किया जाता है कि हल्का पटवारी झंवर तथा भू.अ.निरीक्षक झंवर के तत्वाधान में मौके पर जाकर इन खसरो की पैमाईस कर पत्थरगढ़ी करें । आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों। 14/11/2016 उपखण्ड अधिकारी लूणी	

Scanned by CamScanner